

न्यायालय श्री मान् सवस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वाकीलय , साफ्ट कोर्ट रीवा,

जिलारीवा म० प्र०

निरानी प्रकरण क्रमांक



निग 13164/II/15

श्री रामराज पटेल एड.
द्वारा पत्र 27-8-15

- 1- रामजियावन पटेल पिता श्री रामसजीवन पटेल उम्र 56 वर्ष पेशा नांकीरी
- 2- संतोषा कुमार पटेल पिता राममारीव पटेल उम्र 32 वर्ष, पेशा नांकीरी, वीना निवासीगण ग्राम कठना, पो० आ० कंभला, थाना बकुन्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म० प्र०

वनाम

- 1- मुवनेश्वर प्रसादमिश्रा तनय श्री जी०पी०मिश्रा निवासी ग्राम सलैया, तहसील मन्गवा, जिलारीवा हाल निवासी हनुमान मंदिर कैमीह अन्तपुर, तहसील हुजूर, जिलारीवा म० प्र०
- 2- श्रीमती चंद्रक शर्मा पत्नी श्री संतोष पाण्डेय निवासी पारस नगर अन्तपुर, रीवा, थाना अन्तपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा म० प्र०
- 3- श्री शारदा प्रसाद तिवारी पटवारी हल्का हटारा क्रमांक 21 पारस नगर अन्तपुर, तहसील हुजूर, जिलारीवा म० प्र०

निरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक महोदय गिड़ी रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा के रा० प्रकरणको 124अ12/2014-15 आवेश दिनांक 21-5-2015 को अपास्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मुराजस्व संहिता

सन 1959 ई०

रामजियावन पटेल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 264 - III / 15 जिला शीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-9-15	<p>1. आवेदक की शेट से इतके अधिकतम श्री रामराज पटेल द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया।</p> <p>2. आवेदक द्वारा थट निगरानी राजस्व निरीक्षक, गिरी रोड के प्र. क्र. 124/अ-12/14.15 में पारित आदेश दिनांक 21.5.15 को विरुद्ध दावा की गई है। निगरानी दायन के लाभ वितरण सामग्री हेतु म्याद अधिनियम की धारा-5 एवं एचगन के तले आवेदन भी पेश किया गया है।</p> <p>3. निगरानी दायन एवं प्रस्तावित आदेश दिनांक 21.5.15 को प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। थट माफला सीमांकन का है, जिले के पांच सदस्यीय पटवारी दल द्वारा भू. भूमि-स्वामी, सरहदी भूमि स्वामी व अन्य हितवृद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना देकर, स्थल पंचताता, तजरी नक्शा, फील्ड बुक तैयार कर राजस्व निरीक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सीमांकन के लगन कोई आपत्ति पेश न होने से राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन को अनुमोदित किया गया। सूचना स्थल पंचताता में निगरानीकाल राजनिशावन एवं सक्तीय कृताकार द्वारा हस्ताक्षर करके से ईमांर कला लीयांकित है।</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं औसमानका आदि के हस्ताक्षर
	<p>4- उपरोक्त वस्तुस्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 21.5.15 द्वारा प्रस्तावित सीमांकन को अनुमोदित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः निम्नानुसार प्रथम दृष्टया प्रथम योग्य नहीं होने से इसी प्रकार पर धारणा की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

100